25/3/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] द्वारा
अतः [illegible] के
कारण न्यायिक कार्य [illegible] की।
पीठ [illegible] हैं।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] 8/4/25
पेश हो। 2

8/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र. 0/R/10 CPC हेतु दिनांक 13/5/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

13/5/25 पत्रावली पेश हुई। पीठ [illegible]
अ[illegible] न्याय कार्य में व्यस्त है। अतः
प[illegible] पूर्वानुसार दि. 17/6/25
को पेश हो।

17/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी का घाड़ पिट्ठी के आधार के पट खारिज हो जाने से उक्त प्रा० पत्र का चलने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rangayach 17/6/25
Identified by
(अधिवक्ता)
17/6/25

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)